



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2019-आश्विन 26, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की चौसठवीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को दोपहर 04:00 बजे “वित्त भवन” मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सार्विधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार।
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

निगम की अंशबही दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 से 04 नवम्बर, 2019 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी।

नोट:-

- (क) चौसठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 29 अक्टूबर, 2019 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 25 अक्टूबर, 2019 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रूपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी।

30 सितम्बर, 2019

“वित्त भवन”

मुम्बई-आगरा मार्ग,
इन्दौर-452 001
(685-बी.)

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार।

स्मिता भारद्वाज,
प्रबन्ध संचालक।

NOTICE

Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai - Agra Road, Indore, on Monday, the 04th November 2019 at 4.00 pm to transact the following business :-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2019 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2019-20.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 15th October, 2019 to 04th November, 2019 (both days inclusive).

NOTES:-

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 64th Annual General Meeting should reach the Office of the Corporation not later than four clear days i.e. 29th October, 2019.
- (b) Proxies should reach the Office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. 25th October, 2019.
- (c) Lists of Shareholders are available at the Office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

30th September, 2019

"Finance House"
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452 001.

SMITA BHARADWAJ,
Managing Director.

(685-A-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिभाषक अपने पक्षकार के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता हूँ कि मेरा पक्षकार सावित्री देवी पत्नी राजवीर शाक्य, निवासी सुन्दरपुरा बीटीआई रोड भिण्ड, वार्ड क्रमांक 10, भिण्ड का निवासी है। सावित्री देवी को घर पर शिखा भी कहते थे, इस कारण बीमा पॉलिसी में उसका नाम शिखा लिखा गया है, जबकि उसके बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में सावित्री देवी/सावित्री शाक्य लिखा है, इसलिये सार्वजनिक रूप से यह सूचना जारी की जावे कि शिखा ही सावित्री देवी है। जो कि राजवीर की पत्नी है।

नरेन्द्र चौधरी,
(एडवोकेट)
भिण्ड (म.प्र.).

(673-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, आंचल लोकवानी, पता-236, संत गोविन्दराम मिनी कॉलोनी, प्रभु नगर, ईदगाह हिल्स, भोपाल सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम तरुणा तोलानी था। अतः आज से मेरा नाम जहां भी तरुणा तोलानी लिखा हो उसके स्थान पर आंचल लोकवानी पढ़ा जावे, समझा जावे व माना जावे।

पुराना नाम :

(तरुणा तोलानी)

(674-बी.)

नया नाम :

(आंचल लोकवानी)
पता-236, संत गोविन्दराम मिनी कॉलोनी,
प्रभु नगर, ईदगाह हिल्स, भोपाल।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में ISHAN VERMA था. जिसे मैंने परिवर्तन करके ज्योतिष पद्धति अनुसार ESHAN VARMA कर लिया गया है, अब मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा तथा मेरे द्वारा उपरोक्त नाम ESHAN VARMA का ही उपयोग समस्त दस्तावेजों, लेखों अभिलेखों में किया जावेगा.

पुराना नाम :

नया नाम :

(ISHAN VERMA)

(ESHAN VARMA)

(675-बी.)

CHANGE OF NAME

I, SHREE KUMAR. K, S/o Shri R. Kuttan Pillai, Residing at H.No. 489, J2A, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur Madhya Pradesh have changed my name to SREEKUMAR PILLAI, and will be known as SREEKUMAR PILLAI henceforth. I have submitted an affidavit dated 8th May, 2019 sworn before Notary Shri Uttam Chand Gupta, Jabalpur. I may be known as in my new name for all purpose.

Old Name :

New Name :

(SHREE KUMAR. K)

(SREEKUMAR PILLAI)

(676-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवकान्ता परमार है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों (शेयर सर्टिफिकेट्स) में मेरा घरेलू व बोलता हुआ नाम स्नेहलता परमार लिखा गया है, जो कि भूल वश है. अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम स्नेहलता परमार लिखा हुआ है. उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम शिवकान्ता परमार ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(स्नेहलता परमार)

(शिवकान्ता परमार)

पति-लक्ष्मीनारायण परमार.

पति-लक्ष्मीनारायण परमार,

(677-बी.)

37, सिंहपुरी डिब्बे वाले की गली,
उज्जैन (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम कीर्ति राजानी पिता जगदिश राजानी था, जिसे शादी के बाद बदलकर हमने सिया खूबचदांनी पति राहुल खूबचदांनी कर लिया है. अतः सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नवे नाम सिया खूबचदांनी पति राहुल खूबचदांनी से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(कीर्ति राजानी)

(सिया खूबचदांनी)

पिता-जगदिश राजानी.

पति-राहुल खूबचदांनी,

(678-बी.)

143 बी, पार्श्वनाथ नगर,
इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती नूरी निशा (NURI NISHA) पत्नी श्री मेनुएल मेडा (MANUAL MEDA) था, अब बदलकर मेरा नाम श्रीमती नूरी निशा मेडा (NOORI NISHA MEDA) पत्नी श्री मेनुएल मेडा (MANUAL MEDA) हो गया है. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती नूरी निशा मेडा (NOORI NISHA MEDA) पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(नूरी निशा)

(नूरी निशा मेडा)

(NURI NISHA)

(NOORI NISHA MEDA)

(679-बी.)

पता-873, एन-2, हबीबगांज भेल,
जिला-भोपाल (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s S.R. Builders, having head Office at 2720, Main Road, Tripuri Chowk, Garha, Jabalpur is registered partnership firm.

With effect from 31.07.2019, Smt. Pushpa Yadav joined the partnership and Shri Anurag Arora, Smt. Anuradha Jain and Shri Sanjay Bhatiya retired from the partnership.

Now the partners of the firm are Shri Satyendra Yadav and Smt. Pushpa Yadav.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For, M/s S. R. Builders,
SATYENDRA YADAV,

(680-B.)

(Partner).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Ayushi Constructions, having head Office at 2720, Main Road, Tripuri Chowk, Garha, Jabalpur is registered partnership firm.

With effect from 19.07.2019, Smt. Pushpa Yadav joined the partnership and Shri Vinod Yadav, Shri Sharad Sahu, Shri Anoop Patel, Shri Raj Kumar, Shri Khem Singh Thakur retired from the partnership.

Now the partners of the firm are Shri Satyendra Yadav, Shri Mahesh Patel and Smt. Pushpa Yadav.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For M/s Ayushi Constructions,
SATYENDRA YADAV,
(Partner).

(681-B.)

PUBLIC NOTICE

CHANGE DETAILS: One Partners of the Firm has been retired from 16-11-2018 is Mr. Ashesh Sharma S/o Om Prakash Sharma and One partner Mr. Nikesh Verma S/o Shri Pramod Verma became partner of the firm from 16-11-2018 Remaining Partners i.e. Mr. Pramod Verma and new admitted partner Mr. Nikesh Verma carry on the business namely M/s Shraddha Cap , Address at Subhash Bada, 168 Mochi Oli Lashkar, Gwalior M.P. 474001.

New Name of the Firm shall be M/s Shraddha Cap From M/s Sraddha Metals Industries. New Registered Address of Firm Shall be 168-Shubhash Bada, Mochi Oli Lashkar, Gwalior From 25A Dwarikapuri Kherapati Road Lashkar, Gwalior (M.P.). Manufacturing Unit shall be continue at Plot No. 08, Industrial Area, Banmore, Morena (M.P.).

For, M/s Shraddha Metal Industries,
PRAMOD VERMA,

(642-B.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत्)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसस अरिहन्त रियलइस्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्शन, पता-एम. जेड 5, डी. एम. टॉवर, 21/1, रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म से श्री किरण कुमार डुंगरवाल पिता श्री प्रेम कुमार डुंगरवाल एवं श्री पुष्पेन्द्र डुंगरवाल पिता श्री प्रेम कुमार डुंगरवाल ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है। एतदनुसार सूचित होवें।

अरिहन्त रियलइस्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्शन,
मयंक डोसी,
(भागीदार).

(682-बी.)

आम सूचना

(भागीदारी फर्म अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत)

यह कि मैसर्स श्री जी जी कन्स्ट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0088/15 जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।

दिनांक 23-04-2019 को भागीदारी डीड के अनुसार श्री अजय मोहन गुप्ता ऊपर दिये गये फर्म से अलग हो गये हैं तथा श्री मुकेश कुमार गुप्ता ने फर्म में सहभागी के तौर पर प्रवेश किया है, बांकी फर्म पूर्व के अनुसार कार्यरत है।

वास्ते-श्री जी जी कन्स्ट्रक्शन,
मुकेश कुमार गुप्ता,
(भागीदार).

347, स्कीम नं. 103, केशरबाग रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(683-बी.)

आम सूचना

(भागीदारी फर्म अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत)

यह है मैसर्स स्वास्तिक उद्योग, बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 2334 है। जो कि दिनांक 20 अगस्त, 1980 से पंजीयत है। यह भागीदारी फर्म का विघटन दिनांक 07 अगस्त, 2019 से प्रभावशील रहेगा।

वास्ते,
प्रदयुमन कुमार त्रिवेदी,
(भागीदार)
स्वास्तिक उद्योग.

(684-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./5(विविध-33)2019-20/2190.—शासकीय कन्नेचीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर के सम्पूर्ण भवन (कार्यालय एवं मुद्रणालय परिसर) की साफ-सफाई हेतु इच्छुक साफ-सफाई ठेकेदारों से आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर ऑनलाइन निविदा के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अकुशल श्रमिक को देय प्रति कर्मचारी प्रति माह की, की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाइन तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्डकापी, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 18-10-2019 अपराह्न 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं हार्ड कॉपी के लिफाफों को दिनांक 18-10-2019 अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड किया जायेगा एवं हार्डकॉपी के लिफाफों को खोला जायेगा। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकन हेतु शासकीय प्रेस की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है।
4. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई.टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

झानेश्वर बी. पाटील,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(754)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जूनी इंदौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक तहसीलदार जूनी, इन्दौर, पता-कलेक्टर कार्यालय तहसीलदार जूनी इन्दौर द्वारा “श्री मिद्देश्वर बालाजी हनुमान मंदिर न्यास” कार्यालय पता-चिड़ियाघर के सामने ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक सप्ताह अर्थात् (07 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री सिद्धेश्वर बालाजी हनुमान मंदिर न्यास”.
कार्यालय पता	:	चिड़ियाघर के सामने ए. बी. रोड, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पॉच हजार मात्र) है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है।

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक।

(711)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इंदौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री अली असगर पिता कमरूद्दीन नागदावाला, पता-7, हकीमी बाग, सिरपुर द्वारा “दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट हकीमी मोहल्ला इन्दौर” कार्यालय पता-दाऊदी बोहरा मस्जिद, हकीमी मोहल्ला सिरपुर, इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट हकीमी मोहल्ला इन्दौर”.
कार्यालय पता	:	दाऊदी बोहरा मस्जिद, हकीमी मोहल्ला सिरपुर, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति वर्तमान में नगद के रूप में रुपये 5,300/- (अक्षरी रुपये पॉच हजार तीन सौ रुपये मात्र) है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है।

आज दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,

पंजीयक।

(713)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन, जिला रायसेन

प्र.क्र.01/बी-113/2019-20.

रायसेन, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा- 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रघुवीर सिंह आ. श्री प्रेमसिंह, निवासी- ग्राम खण्डेरा, तहसील व

जिला रायसेन ने द्वारा अभिभाषक के माध्यम से आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर “ “ श्री दुर्गा माता मंदिर छोले वाली मैया न्यास समिति ””, ग्राम खण्डेरा तहसील व जिला रायसेन के नाम से न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति या हितबढ़ पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि के अन्दर मेरे न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता :-	“ श्री दुर्गा माता मंदिर छोले वाली मैया न्यास समिति ” ग्राम खण्डेरा, तहसील व जिला रायसेन
2.	न्यास की चल संपत्ति :-	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा नकतरा, तहसील रायसेन में जमा राशि रूपये 19,51,148/-
3.	न्यास की अचल संपत्ति :-	ग्राम खण्डेरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 172 रकबा 0.190 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 173 रकबा 0.299 हेक्टेयर.
4.	कार्यकारणी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण :-	
1.	श्री रघुवीरसिंह आ. श्री प्रेमसिंह	अध्यक्ष/प्रबंधक
2.	श्री मलखान सिंह मीणा आ. गोवर्धन सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री खिलानसिंह आ. गजराज सिंह	उपाध्यक्ष
4.	श्री जगन्नाथ सिंह आ. मिश्रीलाल सोलंकी	सचिव
5.	डॉ. मनमोहन चौकसे आ. धन्नूलाल	कोषाध्यक्ष
6.	रघुवीरसिंह मीणा आ. भैयालाल	सदस्य
7.	श्री तरनसिंह बघेल आ. सरदारसिंह	सदस्य
8.	श्री खेमराज आ. जोतसिंह बघेल	सदस्य
9.	श्री कालूराम आ. रेवाराम विश्वकर्मा	सदस्य
10.	श्री बिजेन्द्र प्रतापसिंह कुशवाहा आ. गोवर्धनसिंह	सदस्य
11.	श्री देवकिशन शर्मा आ. भगवती प्रसाद शर्मा	सदस्य

5. प्रमुख न्यासी व्यवस्था पर व अध्यक्ष पद की रिक्त पूर्ति की रीति :- प्रमुख न्यासियों अथवा अध्यक्ष का पद मृत्यु होने या स्वेच्छा से त्याग-पत्र देने अथवा यदि कार्यकारणी का कार्यकाल निश्चित हो तो ऐसी स्थिति में पद रिक्त होने की दशा में निर्वाचन की प्रक्रिया के आधार पर न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति की जावेगी।

6. न्यास की आय के स्रोत :- न्यास की प्रमुख आमदनी का स्रोत कृषि भूमि एवं न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान, मंदिर में आने वाले चढ़ावा, श्रद्धालुओं द्वारा प्रदाय की गई धनराशि है।

7. वार्षिक औसत आय:- न्यास की वार्षिक आय कृषि भूमि सहित अन्य सभी स्रोतों से लगभग राशि 6-7 लाख रूपये प्राप्त होती है।

8. अन्य विवरण :- न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य दैनिक कार्यों की देखरेख, वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित नियमावली में उल्लेखित अनुसार होगी।

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के संबंध में भी यदि किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

एल. के. खरे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पंजीयक।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला खरगोन

प्र.क्र.01/बी-113/2019-20.

जा.क्र.1495-96/20-09-2019

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 का नियम-5(1) के देखिये]
पंजीयक लोक न्यास, खरगोन जिले के समक्षः-

चूंकि “आवेदक अध्यक्ष डॉ. यशवंत कुमार पिता व्यंकटेशन शर्मा एवं अन्य, निवासी मोगांवा हा. मु. धामनोद ने नार्मदीय ब्राह्मण हित वर्धिनी सेवा न्यास ट्रस्ट, पता जय स्तंभ चौराहा कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश पिन कोड 451-228 मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्याय या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि “नार्मदीय ब्राह्मण हित वर्धिनी सेवा न्यास ट्रस्ट, पता जय स्तंभ चौराहा कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश पिन कोड 451-228” कसरावद सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगोन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोटि में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

नेहा शिवहरे,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(715)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

रा.प्र.क्र.-0010 ब-113(1)वर्ष 2019-20

मौजा-चिरहकलौ, रा.नि.मं. एवं तहसील गाडरवारा।

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0010/ब-113(1)/ 2019-20, शिवधाम डमरूघाटी ग्राम चिरहकलौ, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाना है। एतद्वारा सूचनापत्र (इश्तहार) किया जाता है कि कथित प्रकरण दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार हेतु रख गया है।

अतः मैं, राजेश शाह, उपजिलाध्यक्ष, पंजीयक लोक न्यास, गाडरवारा (अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा) जिला नरसिंहपुर, न्यायालय में दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह मेरे न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि 14 अक्टूबर, 2019 तक, दो प्रतियों में अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में अपने सहप्रमाण सहित इस सूचना-पत्र प्रकाशन में निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत कर सकता है। और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों या दावा/सुझाव पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(शिवधाम डमरूघाटी ग्राम चिरहकलौ, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर)

अचल संपत्ति

क्र.	विवरण	बाजार मूल्य (रु.)
1.	मौजा चिरहकलौ स्थित भूमि ख. नं. 587/1, 588/1, 589/1, 590, 592, 597 कुल रकबा 3.38 एकड़, कार्यालय कक्ष-1, चौकीदार का 1 निवास ग्रह दो कमरे का, एक द्यूबबेल एवं उसका कक्ष, सामुदायिक भवन एक।	18,50,000

चल संपत्ति

क्र.	विवरण	बाजार मूल्य (रु.)	अनुमानित
1.	चांदी का मुकुट लगभग 300 ग्राम	15,000	
2.	चांदी का छत्र लगभग 80 ग्राम	4,000	
3.	चांदी का त्रिशूल लगभग 400 ग्राम	20,000	
4.	भगवान के वस्त्र	5,000	
5.	पूजन के पीतल, तांबा एवं स्टील के बर्तन	10,000	
6.	स्टील अलमारी 2 नग	10,000	
7.	एक टेबिल	2,000	
8.	प्लास्टिक कुर्सियाँ 10 नग	2,500	
9.	लोहे की दान पेटियाँ 3 नग	30,000	
10.	कपड़े के फर्श 2 नग	2,000	
11.	पीतल के बड़े घंटे 4 नग	12,000	
12.	200 लीटर बाली पानी की दो टंकियाँ	2,000	
13.	2 एचपी की सबमर्सिबल मोटर, स्टार्टर एवं केबिल सहित	15,000	
14.	सीलिंग फेन 5 नग	5,000	
15.	इण्डेन गैस की एक टंकी तथा एक गैस भट्टी	4,000	
16.	कवर सहित सी. एफ. एल. लाईट 20 नग	20,000	
17.	एल. ई. डी. लाईट 12 नग	50,000	
18.	2 इनवर्टर	8,000	
19.	150 एम्पियर की दो बैटरियाँ	5,000	
20.	जूता चप्पल रखने का शेड, अलमारी सहित	1,00,000	
	यूनियन बैंक शाखा गाडरवारा में शिव प्रतिमा निर्माण समिति के खाते में जमा.	13,288.84	

राजेश शाह,

अनुबिभागीय अधिकारी (रा.).

(716)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 24 सितम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/प्रशासक,

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मावरखेडी।

क्र./परि./2019/1620.—दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मावरखेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 07 मार्च, 2013 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 898,

दिनांक 26 सितम्बर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक/संस्था सुपरवाईजर के आवेदन अनुसार संस्था के सदस्य निर्वाचन कराने में असमर्थ है व संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज कुमार गुप्ता,

उप पंजीयक।

(710)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 07 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1625.—जिले में स्थित साँई समर्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोपाखेड़ा पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत साँई समर्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोपाखेड़ा पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक.....सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(718)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1648.—जिले में स्थित रानी दुर्गावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैसाडोंगरी पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत रानी दुर्गावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैसाडोंगरी पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(719)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1649.—जिले में स्थित वनांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोरपानी पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत वनांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोरपानी पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(720)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1650.—जिले में स्थित मातृभूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ीखापा पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत मातृभूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ीखापा पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(721)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1651.—जिले में स्थित जय वीर किसान फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिराठा पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय वीर किसान फल-फूल साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिराठा पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(722)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1682.—जिले में स्थित जय शिव भोले बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरिया पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय शिव भोले बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरिया पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(723)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1683.—जिले में स्थित जय शिवशक्ति बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरवाह पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत जय शिवशक्ति बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरवाह पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(724)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1751.—जिले में स्थित श्री आदर्श बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेलगांव पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत श्री आदर्श बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेलगांव पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(725)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1752.—जिले में स्थित आदर्श फल-फूल साग सब्जी उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भुम्मा पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत आदर्श फल-फूल साग सब्जी उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भुम्मा पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मोहर सहित जारी किया गया।

(726)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1753.—जिले में स्थित श्री कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहगांव पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत श्री कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहगांव पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मोहर सहित जारी किया गया।

(727)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1754.—जिले में स्थित ठिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामाकोना पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से पारिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत ठिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामाकोना पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मोहर सहित जारी किया गया।

(728)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1755.—जिले में स्थित विट्ठल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरडी पंजीयन क्रमांक 908, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत विट्ठल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरडी पंजीयन क्रमांक 908, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मोहर सहित जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक।

(729)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रत्लाम

रत्लाम, दिनांक 23 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत नवदुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., रत्लाम, पंजीयन क्रमांक-778, दिनांक 03 दिसम्बर, 2000 को आदेश क्रमांक-344, दिनांक 03 फरवरी, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/1547, दिनांक 01 अगस्त, 2019 से श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि निर्वाचन न कराने पर संस्था को परिसमापन में लाया गया है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था को पुर्णजीवित किया जाना आवश्यक है।

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे।

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत नवदुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., रत्लाम, पंजीयन क्रमांक-778, दिनांक 03 दिसम्बर, 2000 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये श्री सुभाष जयसवाल, विनय जैन एवं गौरव जैन की तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(730)

रत्लाम, दिनांक 23 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ावाल द्वारा संस्था पंजीयन क्रमांक-325, दिनांक 28 मार्च, 1984 को आदेश क्रमांक-1816, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 से परिसमापन में लाया जाकर कु, दिपीका केमा, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत एवं निर्वाचन अधिकारी श्री जे. सी. जौनवाल द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाकर निर्वाचन पूर्ण कराये गये। उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था को पुर्णजीवित किया जाना आवश्यक है।

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे।

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ावदा पंजीयन क्रमांक-325, दिनांक 28 मार्च, 1984 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये श्री ईश्वरलाल देवराज जी, श्री मनिराम खिमराज जी एवं श्री विनोद अमर जी की तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न करने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

परमानंद गोडरिया,
उप-पंजीयक.

(731)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2018/943, सीहोर, दिनांक 23 जुलाई, 2018 के द्वारा शक्ति सिलाई महिला सहकारी समिती मर्यादित, सीहोर, जिला सीहोर, पंजीयन क्र. 1418, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है। जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29-07-1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्ति सिलाई महिला सहकारी समिति मर्यादित सीहोर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 12 फरवरी, 2009 संस्था का निगम निकाय (बाडी कापोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांकसितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(732)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 29 अगस्त, 2019.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./पुर्नः/2019/787.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीया, विजय, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-694, दिनांक 07 जुलाई, 1995 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960, की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1467, दिनांक 31 अगस्त, 2018 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वघवा, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीया विजय, तहसील सुवासरा जिला मन्दसौर के परिसमापक श्री के. एल. वघवा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 22 अगस्त, 2019 जो संलग्न कर पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2019 से संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई है। चूंकि प्राप्त प्रस्ताव के अंतर्गत संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित हैं। अतः मैं, एस. के. सिंह, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीया, विजय, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1467, दिनांक 31 अगस्त, 2018 को निरस्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ। तथा संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है। कमेटी निम्नानुसार है:-

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. श्री भारतसिंह पिता लालसिंह | अध्यक्ष |
| 2. श्री किशनलाल पिता भुवान | सदस्य |

3.	श्री अमरसिंह पिता डुंगरसिंह	सदस्य
4.	श्री तेजसिंह पिता शम्भूसिंह	सदस्य
5.	श्री बृजमोहनसिंह पिता शिवसिंह	सदस्य
6.	श्री के. एल. वघवा, सह. निरी.	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

एस. के. सिंह,
उप-आयुक्त सहकारिता।

(733)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 09 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/793.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन के दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा निर्वाचन न कराने एवं परिसमापन में लाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। संस्था के निर्वाचन अधिकारी श्री एफ. एस. राय एवं संस्था के प्रशासक श्री एस. के. जैन द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल को संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत पत्र में संस्था के निर्वाचन न कराये जाने एवं परिसमापन में लाये जाने का उल्लेख किया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2018/1172, विदिशा, दिनांक 22 जून, 2018 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। उपरोक्त कारण से पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्हा.डी.एस./559, दिनांक 01 जुलाई, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देती हूँ तथा श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(734)

विदिशा, दिनांक 09 सितम्बर, 2019

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/794.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार डॉ. भीमराव अम्बेडर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा, पंजीयन दिनांक से निर्वाचन कराने एवं उपविधि अनुसार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है संस्था की अंकेक्षण टीपों से यह निष्क्रीय है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/2017/1553, विदिशा, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर किन्तु संस्था पंजीकृत पते पर न होने के कारण डाक कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी.एस./793, दिनांक 18 जून, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र पुनः जारी करती हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को जारी करती हूँ।

सुरेखा अहिरवार,
उप पंजीयक।

(735)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/991. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2019/328, नरसिंहपुर दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिठली प.क्र. 506, दिनांक 01 जनवरी, 1997 ग्राम मिठली, पोस्ट मिठली, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिठली प.क्र. 506, दिनांक 01 जनवरी, 1997 ग्राम मिठली, पोस्ट मिठली, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडीकार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(736)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/992. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2018/1482, नरसिंहपुर दिनांक 24 अगस्त, 2018 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारहछोटा प.क्र. 463, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 ग्राम बारहछोटा, पोस्ट आमगांव, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारहछोटा प.क्र. 463, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 ग्राम बारहछोटा, पोस्ट आमगांव, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(737)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/993. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1155, नरसिंहपुर दिनांक 12 अगस्त, 2017 द्वारा वाणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहद प.क्र. 717, दिनांक 30 जून, 2016 ग्राम व पोस्ट मोहद, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत वाणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहद प.क्र. 717, दिनांक 30 जून, 2016 ग्राम व पोस्ट मोहद, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(738)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/994. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1155, नरसिंहपुर दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा साईं समर्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठौतिया (जमाडा) प.क्र. 361, दिनांक 26 नवम्बर, 1987 ग्राम कठौतिया, पोस्ट कठौतिया, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत साईं समर्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठौतिया (जमाडा) प.क्र. 361, दिनांक 26 नवम्बर, 1987 ग्राम कठौतिया, पोस्ट कठौतिया, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(739)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/995. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन./परिसमापन/2017/1155, नरसिंहपुर दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवारी (पान) प.क्र. 726, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट निवारी (पान), तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवारी (पान) प.क्र. 726, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम व पोस्ट निवारी (पान), तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(740)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/996. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2018/1091, नरसिंहपुर दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा शिवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्हडी प.क्र. 741, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम कुम्हडी, पोस्ट रमणियरिया, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाइ गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत शिवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुम्हडी प.क्र. 741, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम कुम्हडी, पोस्ट रमणियरिया, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुरका पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(741)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/997. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2019/329, नरसिंहपुर दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा प्राथमिक दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया कला प.क्र. 436, दिनांक 20 अप्रैल, 1995 ग्राम सिमरिया कला, पोस्ट नयाखेडा बासादेही, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाइ गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत प्राथमिक दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया कला प.क्र. 436, दिनांक 20 अप्रैल, 1995 ग्राम सिमरिया कला, पोस्ट नयाखेडा बासादेही, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(742)

नरसिंहपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/998. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2019/1155, नरसिंहपुर दिनांक 12 जून, 2016 द्वारा गणेश उद्योग एवं व्यापार सहकारी समिति मर्या., गोगावली प.क्र. 759, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम गोगावली, पोस्ट उसरी, तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमती अनीता कोल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। किन्तु श्रीमती अनीता कोल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानातरण, जिला नरसिंहपुर से जिला कटनी हो जाने के कारण संशोधित आदेश क्र./उरन./परि./2019/324, नरसिंहपुर, दिनांक 08 मार्च, 2019 के द्वारा अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत गणेश उद्योग एवं व्यापार सहकारी समिति मर्या., गोगांवली प.क्र. 759, दिनांक 30 जून, 2014 ग्राम गोगांवली, पोस्ट उसरी, तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(743)

परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./उ.आ.स..//परि./2019/1087. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 998, दिनांक 13 मई, 1935 है को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश क्र.स.प.ज./विधि/2016/43, जबलपुर दिनांक 07 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत उपायुक्त सहकारिता, जिला नरसिंहपुर को परिसमापन नियुक्त किया गया है मेरे द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर एवं परिसमापक का प्रभार प्राप्त कर लिया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे परिसमापन द्वारा संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि होतो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें। त्रुटी की दशा में साहूकारण किसी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधिन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये, समझे जावेंगे।

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(744)

अखिलेश कुमार निगम,

उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एम. पी. प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—एम. पी. प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1638, दिनांक 19 फरवरी, 2004 है को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 577, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटी की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(745)

कार्यालय, परिसमापक भारत चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—भारत चर्मकारी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 23 मई, 2019 है को उप-रजिट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 3050, दिनांक 05 जून, 1959 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(746)

कार्यालय, परिसमापक चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—चर्मकारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 05 जनवरी, 1959 है को उप-रजिट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 4205, दिनांक 05 जून, 1959 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(747)

कार्यालय, परिसमापक महावीर ईंट चुना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खाचरोद

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—महावीर ईंट चुना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खाचरोद, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 222, दिनांक 06 मार्च, 1977 है, को उप-रजिट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 492, दिनांक 02 फरवरी, 1984 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(748)

कार्यालय, परिसमापक जय प्रा. गोगादेव वाल्मीकी सेनेटरी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—जय प्रा. गोगादेव वाल्मीकी सेनेटरी सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1529, दिनांक 05 अगस्त, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 772, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(749)

कार्यालय, परिसमापक पवन दूत यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—पवनदूत यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 27 अगस्त, 2019 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1789, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(750)

कार्यालय, परिसमापक माँ शेरावाली सेनेटरी सहकारी संस्था मर्या., नागदा

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/Q1.—माँ शेरावाली सेनेटरी सहकारी संस्था मर्या., नागदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 25 जुलाई, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2247, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संशोधित आदेश क्रमांक/119 उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2019 से परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

विनोद रावल,

परिसमापक व उप अंके।

(751)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2019-आश्विन 26, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम एवं फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है।

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।

4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।

7. अन्य असामयक घटना से छति :-किसी भी जिले से किसी प्रकार की छति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित जिलों के सामने के सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है।

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	322.0				
2. पोरसा	202.0				
3. मुरैना	179.0				
4. जौरा	92.0				
5. कैलारस	53.0				
6. सबलगढ़	108.5				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना-समान. (2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई है 15%	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	112.9				
2. कराहल	110.2				
3. विजयपुर	79.7				
4. बीरपुर	51.0				
5. बडोदा	107.4				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	133.0				
2. भिण्ड	102.2				
3. गोहद	168.0				
4. मेहगांव	140.2				
5. लहार	117.0				
6. रैन+मिहोना	60.0				
7. गोरमी	..				
8. मौ	..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, ज्वार, बाजरा समान. तुअर, सोयाबीन, धान समान. तिल, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है 15%	5. .. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	141.6				
2. डबरा	148.5				
3. भितरवारा	212.7				
4. चीनोर	..				
5. घाटीगांव	147.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) गन्ना-अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	91.0				
2. दतिया	274.0				
3. इन्दरगढ़	..				
4. बढ़ौनी	..				
5. भाण्डेर	133.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	170.0				
2. पिछोर	145.0				
3. खनियाधाना	89.0				
4. नरवर	199.0				
5. कैरसा	250.0				
6. कोलासस	264.0				
7. पोहरी	130.00				
8. बैराढ़	125.0				
9. बद्रवास	153.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	120.0				
2. ईसागढ़	151.0				
3. अशोकनगर	179.0				
4. चन्द्रेरी	178.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. गुना	98.3				
2. राघोगढ़	122.2				
3. बमोरी	194.0				
4. आरोन	102.0				
5. चाचौड़ा	75.0				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	152.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	102.0				
2. पृथ्वीपुर	80.0				
3. जतारा	116.0				
4. टीकमगढ़	249.9				
5. बल्देवगढ़	90.0				
6. पलेरा	112.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	186.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6.(अ)संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	84.0				
3. नौगांव	142.4				
4. छतरपुर	62.2				
5. राजनगर	76.8				
6. बिजावर	101.2				
7. बड़ा मलहरा	295.8				
8. लवकुशनगर	220.0				
9. बक्सवाहा	235.4				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	226.1				
2. पन्ना	141.2				
3. गुन्हौर	80.0				
4. पवई	170.4				
5. शाहनगर	..				
6. देवनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	165.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	117.6				
2. खुरई	93.5				
3. बण्डा	165.4				
4. सागर	214.2				
5. रेहली	60.4				
6. देवरी	250.0				
7. गढ़ाकोटा	156.6				
8. राहतगढ़	257.0				
9. केसली	199.2				
10. मालथोन	121.4				
11. शाहगढ़	120.0				
12. जयसिंह नगर	223.8				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उडद, धान कम. उडद कम. (2) उपरकत फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	218.0				
2. बटियागढ़	78.3				
3. दमोह	224.0				
4. पथरिया	180.0				
5. जवेरा	133.0				
6. तेन्दूखेड़ा	76.2				
7. पटेरा	311.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	142.3				
2. मझगवां	86.0				
3. रामपुर-बघेलान	69.0				
4. नागौद	140.6				
5. उचेहरा	190.0				
6. अमरपाटन	72.0				
7. रामनगर	156.0				
8. मैहर	83.0				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	69.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौथर	226.0				
2. सिरमोर	105.2				
3. मऊगंज	208.4				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	145.2				
6. गुढ़	208.4				
7. मनगवां	200.0				
8. सेमरिया	110.0				
9. जवा	261.0				
10. नईगढ़ी	232.0				
11. रायपुरकचुलियान	149.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	216.0				
2. ब्यौहारी	170.0				
3. जयसिंहनगर	132.0				
4. बुढ़ार	137.0				
5. गोहपारू	155.0				
6. जैतपुर	176.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर समान. तिल, उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें 10% सुधरी हुई है	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	268.3				
2. अनूपपुर	146.0				
3. कोतमा	278.2				
4. पुष्पराजगढ़	389.2				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़	275.5				
2. पाली	177.3				
3. चैदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	175.6				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) धान, तुअर मक्का कम. मूँग, उड़द, तिल कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	84.4				
2. सिंहावल	244.3				
3. मझौली	137.0				
4. कुसमी	133.0				
5. चुरहट	146.0				
6. बहरी	194.4				
7. रामपुरनैकिन	96.0				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	204.4				
2. देवसर	108.8				
3. सरई	151.6				
4. माडा	240.6				
5. सिंगरौली	140.0				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	69.5				
2. भानपुरा	127.6				
3. मल्हारगढ़	155.0				
4. गरोठ	109.8				
5. मंदसौर	203.5				
6. श्यामगढ़	88.4				
7. सीतामऊ	114.2				
8. धुंधड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
11. दलोदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, मूंग, मूंगफली कम. तिल, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. जावद	155.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	224.0				
3. सिंगोली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	135.8				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. जावरा	282.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	357.0				
3. सैलाना	298.0				
4. बाजना	180.0				
5. ताल	267.0				
6. रावटी	286.0				
7. पिपलोदा	215.0				
8. रत्लाम	256.6				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. खाचराई	179.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	86.0				
3. तराना	123.0				
4. घटिया	53.0				
5. उज्जैन	130.0				
6. बड़नगर	206.0				
7. नागदा	337.5				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. बड़ौद	171.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	135.2				
3. नलखेड़ा	141.8				
4. आगर	111.0				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	बोनी चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर समान. उड़द समान. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. मोमनबड़ौदिया	164.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	121.0				
3. शुजालपुर	209.0				
4. कालापीपल	98.0				
5. पोलाय कला	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	216.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	जुताई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. सोनकच्छ	123.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	177.0				
3. देवास	82.0				
4. बागली	133.0				
5. कन्नोद	89.0				
6. हाटपिल्या	106.0				
7. सतवास	109.0				
8. उदयनगर	161.6				
9. खातेगांव	141.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांतला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) ..	7. .. 8. ..
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाडा 4. सॉडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर 167.0 193.6 120.0 161.0 125.2 177.8 ..	2. ..	3. .. 4. (1) सेयाबीन, मवका, उड्ड अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधकानी 8. डही 9. पीथमपुर	मिलीमीटर 251.3 149.0 365.2 256.0 91.0 104.0 62.0 197.0 159.8	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. गौतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर 262.0 99.6 182.7 167.0 .. 102.0	2. जुताई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर 80.0 167.6 41.0 30.4 69.0 101.0 50.0 82.0 95.0 13.4	2. बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर 74.0 68.0 79.0 99.0 108.3 70.0 .. 82.4 97.0	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	277.0				
2. पुनासा	145.0				
3. खालवा	151.0				
4. पंधाना	69.0				
5. हरसूद	41.0				
35. जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	108.6				
2. जीरापुर	157.0				
3. खिलचीपुर	125.0				
4. व्यावरा	150.8				
5. सारंगपुर	229.0				
6. पचोर	106.6				
7. नरसिंहगढ़	43.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना-समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	106.3				
2. सिरोंज	146.0				
3. कुरवाई	237.6				
4. बासोदा	225.8				
5. नटेरन	157.0				
6. विदिशा	116.2				
7. गुलाबगंज	62.0				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठरी	..				
11. ख्यारसपुर	296.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूंग, उड़द समान. ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	68.2				
2. हुजूर	145.1				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना-समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	95.5				
2. आष्टा	171.0				
3. इछावर	189.0				
4. नसरुल्लागंज	250.0				
5. रेहटी	218.4				
6. श्यामपुर	207.0				
7. जावर	125.0				
8. बुधनी	86.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. ... 8. ..
1. रायसेन	42.8				
2. गैरतगंज	355.0				
3. बेगमगंज	327.0				
4. गोहरगंज	62.0				
5. बरेली	116.0				
6. सिलवानी	269.2				
7. बाड़ी	85.0				
8. सुल्तानपुर	41.2				
9. उदयपुरा	234.4				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	71.0				
2. भैसदेही	95.1				
3. घोड़ाडोंगरी	55.8				
4. शाहपुर	64.8				
5. चिंचोली	90.5				
6. मुलताई	25.4				
7. आठनेर	46.6				
8. आमला	43.0				
9. प्र.पट्टन	13.0				
10. भीमपुर	89.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	94.6				
2. सिवनी-मालवा	130.0				
3. बावई	91.0				
4. इटारसी	135.4				
5. सोहागपुर	125.0				
6. पिपरिया	109.2				
7. बनखेड़ी	154.2				
8. डोलरिया	93.6				
9. पचमढ़ी	94.8				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	22.8				
2. खिड़किया	17.8				
3. सिराली	..				
4. रेहटांव	..				
5. हडिया	..				
6. टिमरनी	30.6				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	105.1				
3. सीहोरा	112.2				
4. पाटन	64.4				
5. मझौली	233.9				
6. शाहपुरा	86.8				
7. पनागर	57.5				
8. अधारताल	86.7				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, तिल, उड़द, मक्का. (2) ..	5. ... 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहारीबंद	113.1				
2. ढीमरखेड़ा	118.5				
3. रीठी	141.2				
4. बड़वारा	110.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	80.0				
6. विजयराघवगढ़	145.5				
7. बरही	238.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. नरसिंहपुर .. 2. गोटेगांव .. 3. करेली .. 4. गाडरवारा .. 5. तेंदूखेड़ा ..					
47.जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 224.8 2. नैनपुर 102.5 3. बिल्हिया 146.1 4. निवास 179.8 5. नारायणगंज 93.2 6. घुघरा 117.2					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 203.0 2. शाहपुरा 175.6 3. बजाग 129.8					
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 4.6 2. तामिया 36.0 3. परासिया 16.1 4. जुन्नारदेव 51.2 5. सोंसर 15.0 6. बिल्हुआ 12.1 7. अमरवाड़ा 45.0 8. चौरई 15.0 9. उमरेठ 22.2 10. मोहखेड 5.4 11. हरई 35.4 12. चांद 2.4 13. पांढुरा 16.6					
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बानी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 36.6 2. बरघाट 81.5 3. कुरई 10.0 4. कवलारी 113.0 5. लखनादेन 37.7 6. छपारा 60.0 7. धनोरा 62.6 8. घंसोर 98.0					
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बानी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 176.2 2. लाँजी 138.0 3. किरनापुर 117.0 4. बैहर 148.0 5. वारासिवनी 117.9 6. कटंगी 8.7 7. लालबरा 166.0 8. तिरोडी 30.4 9. परसवाडा 219.8 10. बिरसा 96.6 11. खैरलाँजी 25.2					

टीप.-*जिला नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त है।

बी. बी. अग्निहोत्री,

आयुक्त,

वास्ते-उप-आयुक्त भू-अभिलेख,

एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश।

(711)